

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

27/1/25
गर्कोलो द्वारा आज काय स्थगन रखा गया है।
पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु
भाईदा दिनांक 21/1/25 को पेश हो।

रु

31/1/25

पत्रावली पेश हुई। वकील श्रीकेन उपस्थित है। वकील खरिवादी ..
जवाब उपरना पत्र वाबत समय चाहते हैं। पत्रावली दिनांक
31/1/25 को पेश हो।

SDO, BINA

31/1/25

गर्कोलो द्वारा आज काय स्थगन रखा गया है।
पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही हेतु
भाईदा दिनांक 11/3/2025 को पेश हो।

रु

11/3/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी श्री शम्मी मोहम्मद उप। वकील वारी
द्वारा पत्रावली में निवेदन विभागात्कि प्रकरण में वारी नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

श्रीमान्,

उपरिस्त काद पत्र
में फोन: 9/6/25
प्रस्तुत करके के
अधिकारी को
सुरक्षित रखते
हुए मेरे द्वारा
उपरिस्त काद पत्र
विडो करवा है।

शेजैड जाट
07/03/25

फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या- /

बनाम.....

अन्तर्गत धारा:-.....

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्य जज

उसिवाही गनी, के मध्य राजीनामा ले गया है. अतः उकरन मे अगि
 कामवाही नही च्हाइते है अतः ~~कामवाही ड्रोप कर~~ वाद पत्र पुनः
 पेश करने के अधिकार सुरक्षित रखते डीमे, कामवाही ड्रोप करवे।
 वहील वाही द्वारा इक आबर रुक जर्जना पत्र वाही राजे नु जज
 लष्या समे डी ओर से पेश किया। वहील वाही छि सुना गया।
 वहील वाही द्वारा कषान क्रिये गये कि उकरन मे ~~कामवाही~~ अर्जावाही
 के मध्य राजीनामा लेने से लेनी पछो के मध्य अब किसी प्रकार
 का वाद-विवाद होव नही है। अतः नवीन वाद प्रस्तुत करने
 के अधिकार को सुरक्षित रखते डीमे वाद पत्र विडो करते है।
 ऐती दिवसि में उकरन में अगि डीमे कामवाही अपेक्षित नही
 होजाती है। अतः वहील वाही/वाही द्वारा प्रस्तुत जर्जना पत्र
 लिखित दिवसी लष्या मौखिक कषानो को स्वीकार कर
~~कामवाही कर~~ नवीन वाद प्रस्तुत करने के वाही के अधिकारों
 को सुरक्षित रखते डीमे, वाद पत्र पर कामवाही इसी स्तर पर
 समाप्त की जाती है। पत्रावली क्रैसल नुमार है। नम्बर से डम
 अकर नाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
 मिनाय (अजमेर)